


कार्यालय जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

आवश्यक सूचना

शिक्षा विभाग, बिहार पटना के संकल्प ज्ञापांक 1128/दिनांक 21.08.2020, ज्ञापांक 273 दिनांक 18.02.2021, विशेष सचिव-सह-निदेशक (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 978/दिनांक 09.07.2021 के निर्देश के आलोक में दिनांक 01.07.2006 के उपरान्त सेवा काल में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी के मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर जिला परिषद् नियोजन इकाई द्वारा विद्यालय सहायक/विद्यालय परिचारी पद पर नियोजन की कार्यवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाता है।

क्र०	नियोजन संबंधि गतिविधियाँ	तिथि
1	जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के माध्यम से शेष बचे आश्रितों का आवेदन प्राप्ति	05.06.2023 से 10.06.2023 तक
2	औपबंधित मेधा सूची की तैयारी	12.06.202 से 17.06.2023 तक
3	औपबंधित मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	19.06.2023
4	औपबंधित मेधा सूची का प्रकाशन	23.06.2023
5	औपबंधित मेधा सूची पर आपत्ति	24.06.2023 से 27.06.2023 तक
6	आपत्तियों पर निराकरण	28.06.2023 से 31.06.2023 तक
7	अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन	03.07.2023
8	अनुमोदित अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन	05.07.2023
9	जिला स्तर पर जिला परिषद् नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण द्वारा उपलब्ध कराये गये रिक्ति के आधार पर नियमानुसार अनुकम्पा आश्रितों के चयन हेतु काउंसलिंग	08.07.2023 स्थान:- जिला परिषद् महात्मा गाँधी सभागार
10	नियुक्ति/नियोजन पत्र निर्गत/वितरण	13.07.2023


उप विकास अधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, पूर्वी चम्पारण।